भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

5वीं मंजिल, खनिज भवन, पूर्व खंड, 49 रेस कोर्स रोड, बेंगलूरू – 560001
दूरभाष सं : +91-8067171505, फैक्स : +91-80-22207179
वेबसाइट : www.sidbi.in

सिडबी द्वारा स्वामित्व में ली गई मे. अमोघ क्यूर एण्ड केअर प्राइवेट लिमिटेड की आस्तियों की बिक्री के संबंध में 10 अगस्त, 2016 को उदयवाणी (कन्नड़) , दी हिन्दू (अंग्रेज़ी) तथा दक्षिण भारत (हिन्दी) में विज्ञापन जारी किया गया

ई-नीलामी 16 सितंबर, 2016 को मे. ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नॉलोजीस लिमिटेड के माध्यम से उनकी वेबसाइट https://sidbi.auctiontiger.net पर ऑनलाइन संपन्न होगी

विज्ञापन जारी करने की दिनांक	10 अगस्त , 2016
बयाना राशि जमा किए जाने की अंतिम दिनांक	14 सितंबर , 2016 को 16.00 बजे तक
दस्तावेज़ अपलोड किए जाने की अंतिम दिनांक	15 सितंबर , 2016 को 16.00 बजे तक
सार्वजनिक ई-नीलामी की दिनांक और समय	16 सितंबर , 2016 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 16.00 बजे के बीच
स्थल	ऑनलाइन ई-नीलामी मे. ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नॉलोजीस लिमिटेड के माध्यम से उन्हीं की वेबसाइट : https://sidbi.auctiontiger.net पर संपन्न होगी

इस दस्तावेज में निम्नांकित संलग्नक शामिल हैं:

(क) विज्ञापन की आधिकारिक प्रति (कन्नड़, हिन्दी और अंग्रेज़ी)
(ख) इकाई की प्रोफाइल जिसके साथ बिक्री हेतु विज्ञापित आस्तियों के ब्यौरा भी है
(ग) ई-नीलामी द्वारा बिक्री के बारे में विस्तृत नोटिस जिसमें ई-नीलामी के बारे में नियम और शर्तें विस्तार से दी गईं हैं।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

5वीं मंजिल, खनिज भवन, पूर्व खंड, 49 रेस कोर्स रोड, बेंगलूरू – 560001

दूरभाष सं : +91-8067171505, फैक्स : +91-80-22207179

वेबसाइट : www.sidbi.in

ई-नीलामी द्वारा बिक्री की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) व (9) के अंतर्गत

ई-नीलामी (ऑन लाइन) द्वारा आस्तियों (संपत्ति) की बिक्री

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 5, 6, 7, 8 व 9 के अंतर्गत बैंक में बंधक/दृष्टिबंधक चल /अचल आस्तियों(संपत्तियों) की ई-नीलामी द्वारा बिक्री। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सन 2002 का 54वाँ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे दिए गए उधारकर्ता खातों के संबंध में दी गई ऋण सुविधाओं के प्रतिस्वरूप धारित निम्नोल्लिखित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है। संबंधित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटीदाताओं को बिक्री विषयक नोटिस पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी) को देय प्रतिभूत ऋणों की वसूली हेतु इन प्रतिभूत आस्तियों (संपत्तियों) को ***'जो है जैसा है तथा जो है जहाँ है'*** आधार पर नीचे वर्णित सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा बिक्री करने का निर्णय किया गया है।

प्रतिभूत ऋणदाता का नाम और पता	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) 5वीं मंजिल, खनिज भवन, पूर्व खंड, 49 रेस कोर्स रोड, बेंगलूरू – 560001
उधारकर्ता / बंधककर्ता का नाम और पता	मे. अमोघ क्यूर एण्ड केयर प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता व दृष्टिबंधनकर्ता), जिसका पंजीकृत कार्यालय नं.758 व 759, डॉलर्स स्कीम लेआउट, 19वाँ मैन, 2रा सेक्टर, एचएसआर लेआउट, बेंगलूरु-560102 मे है।
बैंक को देय बकाया राशि	रु.4,35,86,517/- (यथा दि.02 जनवरी, 2015 के ऋण-वापसी-सह-सरफासी नोटिस के अनुसार) और इस राशि के ऊपर देय ब्याज एवं अन्य खर्चों व प्रभारों सहित।
मालिक / बंधककर्ता का नाम और पता	1. मे. अमोघ क्यूर एण्ड केयर प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता व दृष्टिबंधनकर्ता), जिसका पंजीकृत कार्यालय नं.758 व 759, डॉलर्स स्कीम लेआउट, 19वाँ मैन, 2रा सेक्टर, एचएसआर लेआउट, बेंगलूरु-560102 मे है। 2. डॉ.अमित कुमार केशरी और श्रीमती सुनीता लोबो, (बंधक्कर्ता), सं.आर्जे-305, पूर्वा रिवेरा, मुन्नेकोलल, मार्थाहल्ली, बेंगलूरु 560037
संपत्तियों का विवरण: 1. आरक्षित मूल्य 2. बयाना राशि जमा (ईएमडी) 3. बोली-वर्द्धन गुणांक 4. बोली की दिनांक व समय*	
अचल संपत्ति	
कुल 1200 वर्ग फीट माप की समस्त खाली भूमि संपत्ति जो पूर्व से पश्चिम 40 फुट तथा उत्तर से दक्षिण 30 फुट है। यह खाली भूखंड संपत्ति सं.73, खाता सं.426/1, ग्राम डोड्डानेक्कुण्डी (बस स्टेंड व रेल्वे स्टेशन के पास), के.आर.पुरम होबलि, बेंगलूरु पूर्व तालुक, महादेवपुरा सीएमसी लिमिट में आती है, जो कि अब बेंगलूरु महानगर पालिके सीमांतर्गत है, में अवस्थित है और इसकी चौहद्दियाँ: पूर्व में गृह स्थल सं.72, पश्चिम में गृह स्थल सं.74, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में गृह स्थल सं.78 हैं। **मालिक / बंधककर्ता:** डॉ. अमित कुमार केशरी और श्रीमती सुनीता लोबो 1)रु.46,00,000/- (रुपये छियालीस लाख मात्र), रु.4,60,000/- (रुपये चार लाख साठ हज़ार मात्र), 3) रु.10,000/- (रुपये दस हज़ार मात्र), 4) 16/09/2016 को पूर्वाह्न 10.30 से 11.00 बजे के बीच।	
चल सम्पत्ति जो कि नं.28, आरेहल्ली ग्राम, उत्तराहल्ली होबली, सुब्रमण्यपुरा पोस्ट, बेंगलूरु-560061 में रखी हुई है. मालिक / आड़मानकर्ता: मे. अमोघ क्यूर एण्ड केयर प्राइवेट लिमिटेड	

<u>लॉट 1</u> - इसमें कलर डॉप्लार अल्ट्रासाउण्ड सिस्टम / सहायक उपकरण शामिल हैं: 1. रु.21,75,000/- (रुपए इक्कीस लाख पचहत्तर हज़ार मात्र) 2. रु.2,17,500/- (रुपए दो लाख सत्रह हज़ार पाँच सौ मात्र) 3. रु.10,000/- (रुपए दस हज़ार मात्र) 4. 16/09/2016 को पूर्वाह्न 11.30 से 12.00 बजे तक.
<u>लॉट 2</u> - इसमें सी-आर्म सिस्टम शामिल है: 1. रु.12,75,000/- (रुपए बारह लाख पिचहत्तर हज़ार मात्र) 2. रु.1,27,500/- (रुपए एक लाख अट्ठाईस हज़ार पाँच सौ मात्र) 3. रु. 10,000/- (रुपए दस हज़ार मात्र) 4. 16/09/2016 को पूर्वाह्न 11.30 से 12.00 बजे तक.
<u>लॉट 3</u> - इसमें आईसीयू मॉनीटर्स शामिल हैं: 1. रु.7,00,000/- (रुपए सात लाख हज़ार मात्र) 2. रु.70,000/- (रुपए सत्तर हज़ार मात्र) 3. रु.10,000/- (रुपए दस हज़ार मात्र) 4. 16/09/2016 को अपराह्न 12.30 बजे से 13.00 बजे तक.
<u>लॉट 4</u> - इसमें निश्चेतक मशीन (जीई) शामिल है: 1.रु.6,25,000/- (रुपए छह लाख पच्चीस हज़ार मात्र) 2.रु.62,500/- (बासठ हज़ार पाँच सौ मात्र) 3. रु.10,000/- (रुपए दस हज़ार मात्र) 4. 16/09/2016 को अपराह्न 12.30 बजे से 13.00 बजे तक.
<u>लॉट 5</u> - इसमें ओटी टेबल और लाइट्स शामिल हैं: 1. रु.3,25,000/- (रुपए तीन लाख पच्चीस हज़ार मात्र) 2. रु.32,500/- (रुपए बत्तीस हज़ार पाँच सौ मात्र) 3. रु.10,000/- (रुपए दस हज़ार मात्र) 4. 16/09/2016 को अपराह्न 14.30 बजे से 15.00 बजे तक.
<u>लॉट 6</u> - इसमें हाइप्रेशर ऑटोक्लेव शामिल है: 1. रु.2,25,000/- (रुपए दो लाख पच्चीस हज़ार मात्र) 2. रु.22,500/- (रुपए बाईस हज़ार पाँच सौ मात्र) 3. रु.10,000/- (रुपए दस हज़ार मात्र) 4. 16/09/2016 को अपराह्न 14.30 बजे से 15.00 बजे तक.
<u>लॉट 7</u> - इसमें मेडिकल उपस्कर जैसे - ईएनटी मशीन, मोबाइल एक्स-रे, बेसिक एनेस्थेशिया मशीन, फॉगर मशीन, सर्जिकल औजार तथा अन्य विविध उपकरण शामिल हैं: 1. रु.6,50,000/- (रुपए छह लाख पचास हज़ार मात्र) 2.रु.65,000/- (रुपए पैंसठ हज़ार मात्र) 3. रु.10,000/- (रुपए दस हज़ार मात्र) 4. 16/09/2016 को अपराह्न 15.30 बजे से 16.00 बजे तक.
<u>लॉट 8</u> - इसमें मरीज़ों के बेड/खाट, मरीज़ परीक्षण टेबल/ काउच/ कुर्सी/ स्टूल, विविध ट्रॉलियाँ, व्हील चेयर, आदि शामिल हैं. 1. रु.7,00,000/- (रुपये सात लाख मात्र) 2. रु.70,000/- (रुपये सत्तर हज़ार मात्र) 3. रु.10,000/- (रुपए दस हज़ार मात्र) 4. 16/09/2016 को अपराह्न 15.30 बजे से 16.00 बजे तक.
• **बिक्री समाप्त होने तक प्रति 5 मिनिट अवधि के असीमित स्वतः-विस्तारणों सहित**

ई-नीलामी का पोर्टल	https://sidbi.auctiontiger.net
पता जहाँ ई-टेंडर दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाना है	मे. ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड - वेबसाइट: https://sidbi.auctiontiger.net पर ऑनलाइन
इच्छुक क्रेताओं द्वारा आस्तियों के निरीक्षण की दिनांक	02 सितंबर, 2016 पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक
बयाना राशि जमा किए जाने की अंतिम दिनांक	14 सितंबर, 2016 को अपराह्न 16.00 बजे तक
दस्तावेज़ अपलोड किए जाने की अंतिम दिनांक	15 सितंबर, 2016 को अपराह्न 16.00 बजे तक

<u>अन्य नियम एवं शर्तें</u>

1. ई-नीलामी उपरोल्लिखित दिनांक एवं समय तक जारी रहेगी और जब तक बिक्री समाप्त नहीं हो जाती तब तक इसमें 5 मिनिट प्रत्येक का असीमित स्वतः-विस्तारण होता जाएगा।
2. उपर्युक्त ई-नीलामी, बैंक द्वारा सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नॉलॉजीस लि., ए-801, वॉल स्ट्रीट 2, ऑरिएण्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, अहमदाबाद-380006, हेल्प लाइन नं. +91-79-40230810-844, श्री जिनेश जरीवाला, मो. नं.+91-9537046315, ई-मेल: support@auctiontiger.net अथवा श्री मधुसूदन नायर, मो. सं. +91-9686999578, ई-मेल Karnataka@auctiontiger.net के माध्यम से संपन्न की जाएगी और इच्छुक बोलीकर्ता उक्त सेवाप्रदाता से ई-नीलामी विषयक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
3. इच्छुक क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने और **ई-नीलामी** प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व नीलामी द्वारा बिक्री के बारे में वेबसाइट: https://sidbi.auctiontiger.net अथवा www.sidbi.in पर दिए गए विस्तृत नियम और शर्तों को पढ़ लें।
4. इच्छुक क्रेता एक से अधिक लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं तथापि प्रत्येक लॉट के लिए अलग-अलग बोलियाँ / ईएमडी प्रस्तुत/जमा करना अपेक्षित होगा। ई-नीलामी प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी और ई-नीलामी फॉर्म, अन्य फॉर्म एवं ई-नीलामी के बारे में विस्तृत नियम व शर्तें प्राधिकृत अधिकारी श्री एस.श्रीपति, उमप्र से दूरभाष सं. +91-80-67171505, मो. सं. +91-9945339475 अथवा ई-मेल: sreepathy@sidbi.in से प्राप्त की जा

सकती हैं। यह जानकारी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://sidbi.auctiontiger.net तथा www.sidbi.in पर भी उपलब्ध है।

5. इच्छुक क्रेता पहले से समय लेकर अपने स्वयं के खर्च पर दिनांक02 सितंबर, 2016 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 17.00 बजे के दौरान आस्तियों (संपत्तियों) का निरीक्षण कर सकते हैं। संपत्ति के निरीक्षण हेतु पहले से समय लेने हेतु प्राधिकृत अधिकारी और उमप्र श्री एस. श्रीपति से दूरभाष सं. +91-80-67171505, मो. सं. +91-9945339475 अथवा ई-मेल: sreepathy@sidbi.in पर संपर्क करें।

6. इच्छुक बोलीकर्ताओं को उपर्युक्त ई-नीलामी में बोली लगाने हेतु यूज़र आईडी और पासवर्ड लेना अनिवार्य होगा जिसे वे सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नॉलॉजीस लि., ए-801, वॉल स्ट्रीट 2, ऑरिएण्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, अहमदाबाद-380006, हेल्प लाइन नं. +91-79-40230810-844, श्री जिनेश जरीवाला, मो. नं.+91-9537046315, ई-मेल: support@auctiontiger.net अथवा श्री मधुसूदन नायर, मो. सं. +91-9686999578, ई-मेल Karnataka@auctiontiger.net से प्राप्त कर सकते हैं।

7. यूज़र आईडी और पासवर्ड का आवंटन केवल उन्हीं बोलीकर्ताओं को किया जाएगा जो ई-नीलामी के नियम और शर्तों को पूरा करते हों और जिन्होंने विनिर्दिष्ट समय के अंदर अपेक्षित बयाना राशि / दस्तावेज़ जमा कर दिए हों।

8. उपरोल्लिखित बयाना राशि की अदायगी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के चालू खाता सं. 0142010010000 में एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से करनी होगी। यह खाता आईडीबीआई बैंक लि. की के.एच.रोड शाखा, बेंगलूरु में है जिसका आईएफएससी कोड सं. IBKL0000377 है।

9. ईएमडी जमा करने की अतिम दि. व समय 14 सितंबर, 2016 को अपराह्न 16.00 बजे तक है और ई-नीलामी दस्तावेजों को सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नॉलॉजीस लि. की वेबसाइट https://sidbi.auctiontiger.net पर ऑनलाइन अपलोड किए जाने का अंतिम समय दि. 15 सितंबर, 2016 को अपराह्न 16.00 बजे तक है। किसी भी वजह से देरी से प्राप्त होने वाले बयाना राशि जमा / ई-नीलामी दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. यदि उधारकर्ता द्वारा सिडबी की ओर से जारी निविदा के अनुसार बोली स्वीकार किए जाने से पहले देय राशि को पूर्ण रूप से चुका दिया जाता है तो निविदा के संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी और तद्विषयक आवश्यक सूचना भेज दी जाएगी।

11. सिडबी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह बिक्री की पुष्टि से पहले बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी प्रस्तावों/निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकृत कर दे और ई-नीलामी को निरस्त कर दे।

12. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आस्ति की बिक्री के बारे में अधिकतम बोली को स्वीकार करने पर बोलीकर्ता को बिक्री के संबंध में लगाई गई बोली की राशि का 25% (जिसमें बयाना राशि भी शामिल होगी) तुरंत जमा करना होगा। ऐसा न किए जाने पर बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और आस्ति को पुन: बेचा जाएगा तथा चूककर्ता क्रेता उक्त आस्ति को खरीदने के संबंध में अपने सभी दावे खो देगा।

13. शेष राशि, सिडबी द्वारा बोली स्वीकार किये जाने की दिनांक से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर अदा करनी होगी । निर्धारित अवधि के अंदर शेष राशि अदा न किए जाने की स्थिति में, पूर्व में जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी

14. आस्तियों (संपत्तियों) की बिक्री '***जो है जैसा है तथा जो है जहाँ है***' आधार पर की जाएगी ।

15. मामले की वस्तुस्थिति और परिस्थितियों के मद्देनज़र सिडबी को आवश्यकतानुसार उपर्युक्त नियमों और शर्तों को बदलने/आशोधित करने/जोड़ने-घटाने ने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ऐसे मामले में जहाँ आस्तियों के क्रय का प्रस्ताव किसी क्रेता से आस्थगित अदायगी के आधार पर स्वीकार किया गया हो, सिडबी के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि बैंक को क्रेता के संबंध में क्रेता के बैंकर से असंतोषजनक रिपोर्ट मिलने अथवा अन्य कोई वैध कारण होने पर प्रस्ताव को निरस्त/संशोधित कर दे।

16. यह बिक्री, सिडबी के इस अधिकार को कोई क्षति पहुचाएं बिना की जा रही है कि सिडबी उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ऋण वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटीदाता आदि के विरुद्ध ऋण वसूली प्राधिकरण और / अथवा अन्य प्राधिकारियों के समक्ष इच्छानुसार कार्रवाई कर सकती है।

17. बिक्री की जाने वाली संपत्ति/आस्तियों के संबंध में सरकार या किसी अन्य पक्ष का किसी तरह का प्रभार, ग्रहणाधिकार, भार अथवा और कोई बकाया देय के बारे में प्राधिकृत अधिकारी अथवा सिडबी उत्तरदायी नहीं होगा।

18. आस्तियों(संपत्ति) के हस्तांतरण (conveyance) से संबंधित समस्त प्रभार/शुल्क/कर , यथा – पंजीकरण शुल्क, स्टांप ड्यूटी, अन्य अधिभार, यदि कोई हो तथा अन्य ज्ञात / अज्ञात देनदारियाँ, व्यय, संपत्ति कर, सरकार को देय अन्य कोई सांविधिक अथवा व्यक्तियों को देय बकाया राशियाँ आदि, जो भी नियमानुसार लागू हों, सफल क्रेता को स्वयं वहन करना/चुकाना होंगे।

19. इच्छुक बोलीकर्ताओं को चाहिए कि वे निविदा प्रस्तुत करने/ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वयं बैंक के प्रभारों के अतिरिक्त उक्त संपत्ति के हक-स्वामित्व विलेख, उसके क्षेत्रफल व विस्तार और उससे जुड़ी सांविधिक देयताओं/करों/बकाया देय आदि और अनुमोदित/मंजूर नक्शे आदि के बारे में पूरी जानकारी सावधानी से प्राप्त कर लें। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के पश्चात बेची जाने वाली आस्ति / संपत्ति के ऊपर भार / प्रभार या अन्य किसी विषय में किसी भी प्रकार का दावा सुना या स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. यह बिक्री प्रतिभूत ऋणदाता अर्थात सिडबी की पुष्टि के अधीन है।

21. आरक्षित मूल्य से कम राशि की कोई बोली स्वीकार्य नहीं होगी। सशर्त प्रस्तावों सहित की गई बोलियाँ अवैध मानी जाएंगी।

22. निविदा प्रस्तुत किए जाने के उपरांत प्रस्ताव में किसी प्रकार के परिवर्तन / आशोधन विषयक पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।

23. क्रेता द्वारा खरीद के पश्चात सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी किसी भी खरीदी गई अपकारक / प्रतिबंधित वस्तु / सामग्री / मशीन का स्थल पर विनिर्माण नहीं किया जा सकेगा।

24. बोलीकर्ताओं को उनके हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम मिनिट अथवा सेकंड में बोली लगाने से बचें । क्योंकि किसी भी प्रकार की चूक / कमी अथवा वेंडर पक्ष की विफलता (जैसे इंटरनेट संपर्क टूट जाना / बिजली गुल होना आदि) के लिए न तो बैंक और न ही सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

25. सर्वोच्च / सफल बोलीकर्ता के मामले में बयाना राशि को समायोजित कर लिया जाएगा। असफल बोलीकर्ताओं से प्राप्त बयाना राशि ई-नीलामी की दिनांक से 7 कार्य-दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी तथा बोलीकर्ता को इस संबंध में कोई ब्याज, लागत, व्यय और किसी भी तरह का प्रभार देय नहीं होगा।

26. विक्रय प्रमाण-पत्र केवल उसी नाम पर जारी किया जाएगा, जिस नाम पर निविदा प्रस्तुत की गई है।

27. यहाँ ऊपर प्रयोग में लाए गए शब्दों और उक्तियों का अर्थ वही होगा जैसा कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अभिप्रेत है।

28. किसी भी प्रकार के वाद के हेतु न्यायाधिकार क्षेत्र केवल बेंगलूरु अवस्थित न्यायालय होंगे।

29. ऐसी स्थिति में जब ई-नीलामी को बिक्री हेतु नियत दिनांक से पहले ही रद्द कर दिया जाता है, तब तद्विषयक नोटिस को केवल सिडबी, बेंगलूरु के नोटिस बोर्ड पर ही प्रदर्शित किया जाएगा।

30. यह प्रकाशन, उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटीदाता के लिए भी 30 दिन का नोटिस है।

31. अधिक जानकारी और ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु किसी प्रकार की सहायता के लिए इच्छुक बोलीकर्ता भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 5वीं मंजिल, खनिज भवन, पूर्वी खंड, 49 रेस कोर्स रोड, बेंगलूरु-560001 में प्राधिकृत अधिकारी और उमप्र श्री एस.श्रीपति से दूरभाष सं. +91-80-67171505, मो. सं. +91-9945339475 अथवा ई-मेल: sreepathy@sidbi.in अथवा सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नॉलॉजीस लि., ए-801, वॉल स्ट्रीट 2, ऑरिएण्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, अहमदाबाद-380006, हेल्प लाइन नं. +91-79-40230810-844, श्री जिनेश जरीवाला, मो. नं.+91-9537046315, ई-मेल: support@auctiontiger.net अथवा श्री मधुसूदन नायर, मो. सं. +91-9686999578, ई-मेल Karnataka@auctiontiger.net से संपर्क कर सकते हैं।

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत 30 दिन का सांविधिक बिक्री नोटिस

संबंधित उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / गारटीदाता(ओं) को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे उपरोल्लिखित देय राशि और उस पर देय अद्यतन ब्याज एवं अन्य प्रासंगिक खर्चों की अदायगी ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व कर दें। ऐसा न किए जाने पर निर्दिष्ट संपत्ति(यों) को नीलम कर / बेच दिया जाएगा और बकाया देय राशियों, यदि कोई हो, को उक्त बिक्री से प्राप्त राशि में से ब्याज और अन्य व्ययों के साथ वसूल कर लिया जाएगा।

दिनांक : 09 अगस्त, 2016

हस्ते/-
प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : बेंगलूरू

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक